पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ए0–30 / 2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–9] रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2008 ई0 (अग्रहायण 08, 1930 शक सम्वत्) [संख्या–48

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	527–532	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	309	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	33–34	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सतर्कता अनुभाग

विज्ञप्ति

नियुक्ति

23 अक्टूबर, 2008 ई0

संख्या 575/सतर्कता–2008–38(12)/2002–उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (यथा अनुकूलित) की धारा 3(1) द्वारा निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, श्री एम0एम0 घिल्डियाल, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड का लोक आयुक्त नियुक्त करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
मुख्य सचिव।

सतर्कता अनुभाग

अधिसूचना

नियुक्ति

12 नवम्बर, 2008 ई0

संख्या 6919/सतर्कता–2008–38(12)/2002–उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 (यथा अनुकूलित) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड में निहित शक्ति के आधार पर श्री राज्यपाल, ने श्री एम0एम0 घिल्डियाल, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को उत्तराखण्ड का लोक आयुक्त इस अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या–575/ सतर्कता–2008–38(12)/2008, दिनांक 23 अक्टूबर, 2008 द्वारा नियुक्त किया था, अतएव एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि श्री एम0एम0 घिल्डियाल ने दिनांक 01 नवम्बर, 2008 के पूर्वान्ह में शपथ–ग्रहण करने के पश्चात् अपना पद ग्रहण किया।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

19 नवम्बर, 2008 ई0

संख्या 669/XXVII(8)/सू0अ0अ0/2008–"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" (2005 का अधिनियम संख्या–22) की धारा 5 व 19 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल वाणिज्य कर विभाग के शासन स्तर हेतु निम्नांकित लोक प्राधिकारी इकाई के सम्मुख अंकित निर्दिष्ट कार्यों हेतु लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के रूप में अधिसूचित/नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

शासन स्तर

क्र0 सं0	लोक प्राधिकारी इकाई	निर्दिष्ट कार्य	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1.	वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	मूल्य वर्धित कर अधिनियम या व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित वाणिज्य कर से संबंधित समस्त विषय, जैसे विभिन्न वस्तुओं (माल) पर लागू कर एवं समाधान योजना, व्यापार कर/वैट से संबंधित विषय, समाधान योजनाएं, व्यापार कर/मूल्य वर्धित कर से संबंधित सचिव समिति में प्रस्तुत वाद, मा0 न्यायालयों में दायर की जाने वाली याचिकायें/पुनरीक्षण याचिकायें इत्यादि	उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन		अपर सचिव वित्त विभाग, (श्री चन्द्रशेखर सेमवाल), उत्तराखण्ड शासन
2.	वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	उक्त विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए	अनुभाग अधिकारी वित्त अनुभाग–8, उत्तराखण्ड शासन		उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

शासन की पूर्व अधिसूचनायें संख्या–1227/XXVII(5)/व्या0कर/2005, दिनांक 13–10–2005 एवं संख्या–631/XXX(8)/वाणिज्य कर/2007, दिनांक 19–10–2007 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा, अधिसूचना की शेष शर्तें व अन्य विवरण यथावत् रहेंगे।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–3

अधिसूचना

नियुक्ति

20 नवम्बर, 2008 ई0

संख्या 1246/XXVIII–3–2008–92/2001–साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा 21 सपठित औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 59 के उपनियम (1) तथा नियम 67–क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, इस सन्दर्भ में पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या–203 (चिकित्सा शाखा)/2000–92(चि0)/2000, दिनांक 18 जनवरी, 2001 को अधिक्रमित करते हुए श्री धर्म सिंह, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक, कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को उक्त नियमावली के भाग छः तथा छः–क के प्रयोजनों के लिए, उनके विद्यमान कर्तव्यों के अतिरिक्त, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य हेतु औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

केशव देसिराजु,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1246/XXVIII-3-2008-92/2001**, dated November 20, 2008 for general information :

NOTIFICATION

Appointment

November 20, 2008

No. 1246/XXVIII-3-2008-92/2001--In exercise of the powers conferred by section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) read with sub-rule (1) of rule 59 and sub-rule (1) of rule 67-A of Drugs and Cosmetics Rules, 1945 and in supersession of earlier issued Notification No. 203 (Medical Section)/2000-92(Chi)/2000, Dated January 18, 2001, the Governor is pleased to appoint Sri Dharam Singh, Senior Drug Inspector, Office of Additional Director, Medical Health and Family Welfare, Garhwal Mandal, Pauri (Uttarakhand) as Drug Licensing Authority for the whole State of Uttarakhand, for the purposes of Part VI and VI-A of the said rules, in addition to his present duties.

By Order,

KESHAV DESHIRAJU,
Principal Secretary.

विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड

(अधिष्ठान अनुभाग)

अधिसूचना / प्रकीर्ण

05 नवम्बर, 2008 ई0

संख्या 873 / वि0स0 / 372 / अधि0 / 2007–अधिसूचना / प्रकीर्ण संख्या–995 / वि0स0 / 288 / अधि0 / 2004, दिनांक 07 अगस्त, 2007 के अनुसरण में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 187(3) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये सेवा सम्बन्धी नियम बनाने के लिये गठित नियमावली सम्बन्धी समिति के कार्य में समय लगने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए श्री अध्यक्ष, विधान सभा ने समिति का कार्यकाल दिनांक 06 नवम्बर, 2008 के बाद आगामी छः (06) माह के लिये बढा दिया है।

आज्ञा से,

महेश चन्द्र,
सचिव।

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

11 नवम्बर, 2008 ई0

संख्या 674 / XVII–02 / 2008–01(14) / 2008–माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 56, वर्ष 2007) की धारा 1 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त अधिनियम को राज्य में लागू करने के लिये 01 नवम्बर, 2008 की तारीख नियत करते हैं।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 674/XVII-02/2008-01(14)/2008,** dated November 11, 2008 for general information :

NOTIFICATION

November 11, 2008

No. 674/XVII-02/2008-01(14)/2008--In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (Central Act No. 56 of 2007), the Governor is pleased to appoint November 01, 2008 as the date on which the said Act shall come into force in the State.

By Order,

MANISHA PANWAR,
Secretary.

समाज कल्याण अनुभाग–01

अधिसूचना

18 नवम्बर, 2008 ई0

संख्या 1060/XVII–1/2008–01(26)/2007–टी0सी0–1–अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2007) की धारा 6 की उपधारा(5) सपठित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 के नियम 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य के समस्त जिलों में निम्नवत् जिला स्तरीय समिति के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1)	सम्बन्धित जिले का जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(2)	सम्बन्धित जिले के मुख्यालय का प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
(3)	जिला पंचायत के तीन सदस्य, जिन्हें जिला पंचायत द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा, जिनमें से न्यूनतम दो अनुसूचित जनजातियों के होंगे। वे अधिमानतः ऐसे सदस्य होंगे, जो वन निवासी हों या आदिम जनजातीय समूहों के हों और जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं, वहां ऐसे दो सदस्य, जो अधिमानतः अन्य परम्परागत वन निवासी होंगे और इनमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी	सदस्य
(4)	सम्बन्धित जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी/जनपद देहरादून में तैनात वरिष्ठतम परियोजनाधिकारी, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना	सदस्य–सचिव

18 नवम्बर, 2008 ई0

संख्या 1061/XVII–1/2008–01(26)/2007–टी0सी0–1–अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2007) की धारा 6 की उपधारा(3) सपठित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 के नियम 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य के समस्त जिलों के समस्त उप–खण्डों में निम्नवत् उप–खण्ड (परगना) स्तरीय समिति के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान प्रदान करते हैं:–

(1)	सम्बन्धित परगना के उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(2)	सम्बन्धित परगना के मुख्यालय का उप–खण्ड का भारसाधक वन अधिकारी	सदस्य
(3)	सम्बन्धित उप–खण्ड (परगना) की क्षेत्र पंचायतों के तीन सदस्य, जिन्हें सम्बन्धित जिले की जिला पंचायत द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा, जिनमें से न्यूनतम दो सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे। वे अधिमानतः ऐसे सदस्य होंगे जो वन निवासी हैं या जो आदिम जनजातीय समूहों के हैं और जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं, वहां ऐसे दो सदस्य, जो अधिमानतः अन्य परम्परागत वन निवासी हैं और इनमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी	सदस्य

(4) सम्बन्धित परगना के सहायक विकास अधिकारी/ जनजाति कल्याण/सम्बन्धित परगना मुख्यालय के सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य–सचिव

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 48 हिन्दी गजट/775–भाग 1–2008 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2008 ई0 (अग्रहायण 08, 1930 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

November 10, 2008

No. 223/UHC/XIV-1/Admin.A--Sri Madan Chandra Gupta, Special Judicial Magistrate, Khatima, Distt. Udhamsingh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 13.10.2008 to 25.10.2008 with permission to prefix 09.10.2008 & 10.10.2008 as Dussehra holidays, 11.10.2008 & 12.10.2008 as 2nd Saturday and Sunday holidays and to suffix 26.10.2008 as Sunday, 27.10.2008 to 29.10.2008 as Deepawali holidays.

November 14, 2008

No. 224/UHC/XIV-62/Admin.A--Sri Amit Kumar Sirohi, Chief Judicial Magistrate, Udhamsingh Nagar, is hereby sanctioned medical leave for 12 days *w.e.f.* 22.10.2008 to 02.11.2008.

November 14, 2008

No. 225/UHC/XIV-90/Admin.A--Sri Mithilesh Jha, the then Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, Distt. Udhamsingh Nagar, presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar, is hereby sanctioned medical leave for 12 days *w.e.f.* 02.07.2008 to 13.07.2008.

By Order of the Court,
Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 48 हिन्दी गजट / 775–भाग 1–क–2008 (कम्प्यूटर / रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2008 ई0 (अग्रहायण 08, 1930 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

नगरपालिका परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

19 सितम्बर, 2008 ई0

पत्रांक 1255/5–कर अनु0/08–09–नगरपालिका परिषद्, रामनगर, जिला नैनीताल ने अपने प्रस्ताव सं0–6, दिनांक 05–05–08 तथा प्रस्ताव सं0–5, दिनांक 12–06–08 के द्वारा नगरपालिका सीमान्तर्गत म्यु0 एक्ट, 1916 की धारा–298 के अन्तर्गत मोबाईल टावरों पर करारोपण करने का निर्णय लिया है। जिसकी पुष्टि बोर्ड की बैठक, दिनांक 26–08–08 को प्रस्ताव सं0–3 के द्वारा कर दी गई है।

अतः उक्त एक्ट की धारा–301(2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित की जाती है।

मोबाईल टावरों के नियन्त्रण एवं निर्माण हेतु

उपविधि

1–संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ–यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, रामनगर (नैनीताल) संचार से सम्बन्धित मोबाईल टावरों के नियन्त्रण एवं निर्माण उपविधि, 2008 कहलाएगी।

2–यह गजट प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

3–इस उपविधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा कम्पनी जो नगरपालिका, रामनगर (नैनीताल) की सीमान्तर्गत मोबाईल टावर की स्थापना करना चाहता हो, नगरपालिका की अनुमति हेतु एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसके अन्तर्गत निम्न प्लान दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा :–

(i) उस स्थल का की–प्लान, जहां पर मोबाईल टावर स्थापित किया जाएगा।

(ii) की–प्लान में स्थल की समीपवर्ती इमारतों, भूमि तथा हाईटेंशन इलैक्ट्रिक लाईन, यदि कोई हो, समीपवर्ती सड़कों व गलियों की चौड़ाई इंगित होनी चाहिए।

(iii) जिस भूमि अथवा भवन पर टावर स्थापित किया जाएगा, उसका भवन स्वामित्व का प्रमाण–पत्र अथवा भवन स्वामी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न करना होगा और यदि भूमि अथवा भवन किराये पर लिया गया हो तो भवन स्वामी द्वारा किए गए किरायेनामे की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न होनी चाहिए।

(iv) यदि टावर भवन की छत पर स्थापित किया जाएगा तो उस भवन के निर्माण का वर्ष तथा टावर के भार को सहने की क्षमता का प्रमाण–पत्र मान्यता प्राप्त आर्किटैक्ट/इन्जीनियर का संलग्न होना चाहिए।

(v) टावर से रेडियोधर्मिता या उससे निकलने वाली तरंगें मानव जीवन के लिए घातक नही होंगी, इस आशय का पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vi) उस व्यक्ति, संस्था अथवा कम्पनी जिसके द्वारा टावर की स्थापना की जाएगी, उसे इस आशय की लिखित सहमति देनी होगी कि यदि टावर के कारण अथवा आंधी–तूफान में उसके गिरने से जन–धन को यदि कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति वह करेगा/करेगी।

(vii) टावर का ढांचा कम से कम 200 कि0मी0 प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाले तूफान को सहने की क्षमता का होना चाहिए, इस आशय का प्रमाण–पत्र मान्यता प्राप्त आर्किटैक्ट/इन्जीनियर का संलग्न होना चाहिए।

(viii) टावर की स्थापना अथवा अन्य कारणों से जनाक्रोश भड़कने पर टावर स्थापना/निर्माण की स्वीकृति को वापस लिए जाने पर पन्द्रह दिन के भीतर टावर को हटाने की लिखित सहमति प्रस्तुत करनी होगी।

4–टावर निर्माण के सम्बन्ध में वर्णित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने पर नगरपालिका द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

5–सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था, कम्पनी को टावर निर्माण की स्वीकृति प्राप्ति के समय मु0 20,000=00 रु0 (बीस हजार रुपये) टावर निर्माण/स्वीकृति शुल्क तथा प्रत्येक वर्ष मु0 12,000=00 रु0 (बारह हजार रुपये) वार्षिक लाईसैन्स शुल्क पालिका में जमा करना होगा अन्यथा स्वीकृति वापस लेने पर बोर्ड विचार करेगी।

6–जो टावर गजट प्रकाशन से पूर्व ही स्थापित किये जा चुके हैं, उन पर वर्णित शुल्क गजट प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी समझा जाएगा।

7–लाईसैन्स का प्रतिवर्ष नवीनीकरण 30 अप्रैल तक करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात् मु0 100=00 रु0 (एक सौ रुपये) प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा अन्यथा बोर्ड द्वारा स्वीकृति वापस लेने पर विचार किया जा सकता है।

शास्ति

यदि उपरोक्त उपविधियों में से किसी विधि का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जाएगी। नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–299(1) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए इन उपविधियों के उल्लंघन पर मु0 1,000=00 रु0 (एक हजार रुपये) तक अर्थदण्ड, विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त हो सकता है और जब अपराध निरन्तर जारी रहे तो अपराध सिद्ध होने के दिनांक से मु0 25=00 रु0 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन की दर से उपरोक्त के अतिरिक्त दण्ड हो सकता है।

के0 सी0 पाण्डे,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।

मो0 अकरम,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 48 हिन्दी गजट/775–भाग 8–2008 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।